FORM No. 123

(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

Date	Orders with initials of P.O. **सुरज्ञान देवी बनाम भागचंद जांगिड़** **दीवानी मूल वाद संख्या – 56/2021(24/2014)** **सीआईएस संख्या – 1538/2014**	Brief note of Compliance of Order
28.11.2024	वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किए कि वादीगण गवाह पी.डब्ल्यू. 1 व पी.डब्ल्यू. 2 ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र दिनांक 29.08.2022 को पेश किए थे। तत्पश्चात पुनः बिना अनुमति के दिनांक 12.08.2024 को गवाह पी.डब्ल्यू. 1 व पी.डब्ल्यू. 2 ने नए मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र पेश किए जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अतः उन्हे रिकोर्ड से हटाए जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का वादीगण की ओर से लिखित में जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने कथन किए कि वादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 14(3)सीपीसी के तहत नये दस्तावेजात पेश किए थे जिन्हे न्यायालय द्वारा रिकोर्ड पर लिया गया था। उक्त दस्तावेजात को साक्ष्य का भाग बनाने के लिए नया शपथ पत्र पेश किया जाना आवश्यक था। इसलिए नया शपथ पत्र पेश किया गया। पूर्व में पेश किए गए शपथ पत्र को पेश नहीं किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र विलंब कारित करने के आशय से पेश किया गया है। अतः सव्यय खारिज किए जाने का का निवेदन किया गया। उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादीगण द्वारा दिनांक 29.08.2022 को गवाह विनोद कुमार व सुरज्ञान देवी का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया था। तत्पश्चात पुनः वादीगण द्वारा दिनांक 12.08.2024 को साक्ष्य वादी में गवाह विनोद कुमार व सुरज्ञान देवी का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया है। वादीगण की ओर से दिनांक 12.08.2024 को जो साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया है वह न्यायालय की अनुमति से पेश किया गया हो या न्यायालय ने उन्हें पुनः शपथ पत्र पेश करने का कोई आदेश दिया हो यह तथ्य पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है। जहाँ तक वादीगण का यह कथन है कि उनके द्वारा आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज को न्यायालय द्वारा रिकोर्ड पर लेने से उक्त दस्तावेज के संबंध में पुनः शपथ पत्र पेश किया गया है तो इस संबंध में विधिक प्रावधानों के अनुसार वादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में ही साक्ष्य पेश की जा सकती है तथा जो आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज पेश कर उन्हें रिकोर्ड पर लेने का निवेदन किया गया था वे दस्तावेज वादपत्र के अभिवचनों के संबंध में ही पेश किए गए है। वादीगण द्वारा जो साक्ष्य शपथ पत्र दिनांक 29.08.2022 व दिनांक 12.08.2024 को पेश किए गए है उनका भी अवलोकन किया जाए तो उक्त दोनो शपथ पत्र में केवल एक पैरा पैरा संख्या 18 पूर्व में पेश किए गए शपथ पत्र के तथ्यों से भिन्न जोड़ा गया है।	

	उक्त पैरे में जिस दस्तावेज का उल्लेख किया गया है वह दस्तावेज पेन–ड्राइव न्यायालय द्वारा ली गई हो या वादीगण की ओर से पेश की गई हो यह तथ्य वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण का यह कथन कि आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के तहत प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में नया शपथ पत्र पेश किया गया है माने जाने योग्य नहीं है। चूंकि वादीगण द्वारा पूर्व में दिनांक 29.08.2022 को मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र गवाह विनोद एवं सुरज्ञान देवी के संबंध में पेश किया जा चुका है तब पुनः दिनांक 12.08.2024 को जो शपथ पत्र पेश गया है वह न तो न्यायालय की अनुमति से पेश किया गया है ना ही न्यायालय द्वारा उन्हें पेश किए जाने का कोई आदेश दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में दिनांक 12.08.2024 को प्रस्तुत मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र को रिकोर्ड से हटाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर गवाह विनोद एवं सुरज्ञान देवी के दिनांक 12.08.2024 के प्रस्तुत मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र को डी–पार्ट में रखे जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 29.11.2024 को पेश हो। **(शालिनी शर्मा)** **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश** **संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।**	